फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : होशियारीबाई **बनाम** **विपक्षी : गेहरीलाल**

किस्म मुकदमा – आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. **पत्रावली संख्या : 191/17**

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00434

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 70/15 उनवान होशियार बाई बनाम गेहरीलाल में निर्णय दिनांक 26.05.2016 को पारित कर आदेश दिए गए थे कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की आराजी नम्बर 3084 किता 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें, एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने का प्रयास किया है। परन्तु प्रार्थीया यह साबित कराने में असफल रही है कि फोटोग्राफ्स में अंकित फसल की बुवाई किसके द्वारा की गई है। क्योंकि प्रार्थीया द्वारा इसके संबंध में कोई साक्ष्य/गवाह प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतित होता हो कि उक्त फसल की बुवाई विपक्षी द्वारा ही करवाई गई हो। वैसे भी न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा में यह अंकित किया गया है कि एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा काश्त करने पर पाबंदी नही लगाई गई थी। केवल मात्र एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु प्रार्थीया यह भी साबित कराने में असफल रही की उसके कब्जे काश्त में विपक्षी द्वारा दखलन्दाजी की गई हो। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. खारिज योग्य पाया जाता है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:40 IST
Reason: SelfAttested